— 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/427
मुकदमा नम्बर 153/2024 दर्ज दिनांक— 23.09.2024

प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी वार्ड नं. 2 सेठ वाली ढाणी पॉवर हाउस के पीछे,नवलगढ ,तहसील व जिला झुझुंनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक :— श्री संदीप कुमार सैनी
वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 07.01.2025**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 370 पुराना 409 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. कमशः 14,15,16,17,18,20,25 कुल किता 7 कुल रकबा 5.07 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम प्रभूराम पुत्र रामेश्वर के बजाय प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वरलाल दुरूस्त करे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट कमांक 5775 दिनांक 20/12/2024 पेश की गई। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित जाहिर होता है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई। आवेदक का प्रा. पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर साबित पाया गया है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 370 पुराना 409 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. कमशः 14,15,16,17,18,20,25 कुल किता 7 कुल रकबा 5.07 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम प्रभूराम पुत्र रामेश्वर के बजाय प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वरलाल दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय/आदेश आज दिनांक **07.01.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला—झुझुंनू